

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
एनएचएम स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

No. - F20513)NHM/MR/Tender/385

Date: - 01.10.2019

उपापन समिति के सदस्यों द्वारा तकनीकी निविदा हेतु योग्य पाई गई 08 एजेन्सियों द्वारा प्रस्तुत किये गये आवश्यक समस्त दस्तावेजों का मूल्यांकन किया गया। तकनीकी निविदा में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के मूल्यांकन पश्चात संबंधित फर्मों की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	फर्म का नाम	वस्तुस्थिति
1.	CIS Bureaus Facility Service Pvt. Ltd.	असफल
2.	Professional Facility Management Service	सफल
3.	JEWCSL GAURAV SAINANI DURG JAIPUR	सफल
4.	Akshansh Consultancy Service Pvt. Ltd.	सफल
5.	Adarsh Saraswati Mahila Siksha Evam Gramin Vikas Samiti Tonk (Raj.)	असफल
6.	M/s. SUKRATI	असफल
7.	Solution & Solution	सफल
8.	BSA Corporation Limited	असफल

उपरोक्त सारणी में अयोग्य पाई गई 04 एजेन्सियों की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :-

1. CIS Bureaus Facility Service Pvt. Ltd. द्वारा तकनीकी निविदा के प्रपत्र 07 में सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज प्रतिशत का उल्लेख किया गया है। निविदा में बोलीदाता हेतु महत्वपूर्ण आवश्यक निर्देश के बिन्दु संख्या 21 में उल्लेख है कि "वित्तीय दरो को तकनीकी निविदा प्रपत्र तथा तकनीकी निविदा के साथ अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों में कहीं भी उल्लेख नहीं करे, ऐसा करने पर प्रथम दृष्टया बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।" अतः कमेटी के द्वारा फर्म को तकनीकी मूल्यांकन में असफल माना जाता है।
2. Adarsh Saraswati Mahila Siksha Evam Gramin Vikas Samiti Tonk (Raj.) को शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम द्वारा पत्रांक F18()/एनएचएम/एमएमयू/ 2016-17/8707 दिनांक 22.03.2017 के द्वारा जिला अजमेर, बूंदी, दौसा, टोंक, जयपुर प्रथम एवं जयपुर द्वितीय में संचालित एमएमयू/एमएमवी वाहनो की सेवा एवं कार्य संचालन असंतोषप्रद एवं उपयुक्त परिणामकारी नहीं होने के आधार पर उक्त फर्म के साथ कारित अनुबंध को दिनांक 17.03.2017 को निरस्त किया गया। मिशन निदेशक, एनएचएम के उपरोक्त निरस्तीकरण दिनांक के पश्चात फर्म Adarsh Saraswati Mahila Siksha Evam Gramin Vikas Samiti Tonk (Raj.) को आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का राजकीय कार्य आदेश जारी होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है। अतः कमेटी के द्वारा फर्म को तकनीकी मूल्यांकन में असफल माना जाता है।
3. M/s. SUKRATI द्वारा निविदा के बिन्दु संख्या 15 में उल्लेखित दस्तावेज "श्रम विभाग द्वारा जारी लाईसेन्स का विवरण एवं वैधता तिथि" तकनीकी बिड में संलग्न नहीं किया है। इस हेतु M/s. SUKRATI को पत्रांक 358 दिनांक 27.09.2019 जारी कर अवगत कराया गया था। इसके क्रम में फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि फाईनेशियल बिड में योग्य पाये जाने के पश्चात श्रम विभाग का लाईसेन्स जारी करवा लिया जावेगा। चूंकि यह निविदा की आवश्यक शर्त को तकनीकी मूल्यांकन के

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
एनएचएम स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

समय पूरा नहीं करने के कारण कमेटी के द्वारा फर्म को तकनीकी मूल्यांकन में असफल माना जाता है।

4. BSA Corporation Limited द्वारा निविदा के बिन्दु संख्या 14 में उल्लेखित दस्तावेज तकनीकी बिड में संलग्न नहीं किया है। इस हेतु BSA Corporation Limited को पत्रांक 359 दिनांक 27.09.2019 जारी कर अवगत कराया गया था कि दिनांक 30.09.2019 तक संबंधित दस्तावेज जमा करावे। इस हेतु फर्म को दूरभाष पर भी सूचित किया गया। फर्म के द्वारा मात्र वर्ष 2019 का कार्य आदेश संलग्न किया गया है। अतः कमेटी के द्वारा फर्म को तकनीकी मूल्यांकन में असफल माना जाता है।

इस संबंध में उपरोक्त 04 फर्मों 1. CIS Bureaus Facility Service Pvt. Ltd. 2. Adarsh Saraswati Mahila Siksha Evam Gramin Vikas Samiti Tonk (Raj.) 3. M/s. SUKRATI एवं 4. BSA Corporation Limited को तकनीकी बिड में असफल घोषित करने की अनुषंशा करती है।

उपरोक्त तकनीकी मूल्यांकन को विभागीय वेबसाईट तथा SPPP पोर्टल पर अपलोड कर सभी निविदा दाताओं को 03 दिवस का समय, किसी भी प्रकार की Query हेतु देते हुए निविदा में तकनीकी रूप से सफल फर्मों की फाईनेशियल बिड खोलने की अनुषंशा करती है।

11/10/2019
(घनश्याम लाल शर्मा)
परियोजना निदेशक
एनएचएम